



जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, कटिहार

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत (इन्टर, मौलवी, फौकानिया प्रथम श्रेणी) ऑनलाईन आवेदन हेतु सूचना।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इन्टर प्रथम श्रेणी वर्ष 2026 अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्राएँ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से उत्तीर्ण मौलवी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्रा एवं फौकानियां में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना है।

ऑनलाईन आवेदन के क्रम में आवेदक का निम्नांकित कागजात अभिप्रमाणित/स्व अभिप्रमाणित प्रति साफ-साफ स्कैन कर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

Required Documents

- ✓ Residence Certificate
- ✓ Marksheet
- ✓ Passing certificate
- ✓ Registration card
- ✓ Photo & Signature
- ✓ Aadhaar Card
- ✓ Bank Passbook/Cancelled Cheque

Eligibility Criteria

- ✓ Resident of Bihar
- ✓ First Division Pass
- ✓ Eligible Courses: 12th(Only Muslim girls) / Maulvi(Only girls) / Fauquania(both boys and girls)
- ✓ Belongs to the notified minority community(Muslim,Sikh,Jain,Parsi,Buddhist and christian)

विभागीय वेबसाईट ई-कल्याण पोर्टल <https://ekalyan.bihar.gov.in/mvpy/> पर आवेदन कर सकते हैं।

उप निदेशक

PR- 007794 (Minority Welfare) 2026-27

अल्पसंख्यक कल्याण, कटिहार

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।